राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री जीतमल खांट, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पंडित दीनदयाल ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि पर बने मकानों के पट्टे वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत खरीद/निविदा प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

(1) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड़, जयपुर के ऑडिटेड़ अन्तिम लेखे एवं ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 ;

(II) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड़, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 ;

(III) दी राजस्थान अरबन कॉपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 ; एवं

(IV) राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-2017

जारी..2..

(3) श्री श्रीचंद कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़ का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों का विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री विजय बंसल (पप्पू बंडा), सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.18) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-2018 का 10वां प्रतिवेदन ।
2. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (विभिन्न नगर सुधार न्यासों) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.6) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-2018 का 11वां प्रतिवेदन ।
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.7) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-2018 का 12वां प्रतिवेदन ।
4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग (जयपुर विकास प्राधिकरण) से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.6 एवं 6.8.1) पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2017-2018 का 13वां प्रतिवेदन ।

(II) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', 2017-2018 स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क', 2017-2018 के षष्टम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. याचिका का उपस्थापन

श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर हेतु आवंटित भूमि का राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख शीघ्र जारी करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..3..

6. विधायी कार्य

(क) पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-10)	"भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-9)	"बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(III) श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-11)	"राजस्थान राज्य में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

जारी..4..

(IV) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री प्रभु लाल सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-7)	"राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(V) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री प्रभु लाल सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-8)	"राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान वित्त विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-4)	"वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..5..

(II) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-3)

''वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।''

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 05 मार्च, 2018